

ब-अदालत अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा।

क्रि०मि० केश नं०-65/2017-18

कैलाश प्र० जयसवाल बनाम् सुरेन्द्र प्र० जयसवाल

धारा-145 प्र०स०

:- आदेश :-

14/10/25
अभिलेख उपस्थापित। RCMS Portal के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि क्रि०मि० केस नं०-65/2017-18 कैलाश प्र० जयसवाल बनाम् सुरेन्द्र प्र० जयसवाल से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय से संबंधित है, परन्तु भूल वस RCMS Portal में Entry हो गया है।

अतः उक्त वाद से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय में अंतरित करते हुए RCMS Portal से हटाया जाता है।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।